[illegible] नर सिंह बनाम सरकार
वाद मुकदमा नं 221/2023

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी — रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 221/2023

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

नर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति रामगढ़िया सिख उम्र 53 वर्ष निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

— वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— प्रतिवादी

उपस्थित— अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

—:: निर्णय ::—

दिनांक 14.01.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2071—2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 59/44 के मुरब्बा नम्बर 70, 71, 74, व 75 की कुल 21.252 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 145/3542 हिस्सा यानि 0.870 है. कृषि भूमि वादी के नाम (नरसिंह उर्फ माड़ा सिंह पुत्र निरंजन सिंह) से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद है। चूंकि उक्त वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि वादी के पिताजी निरंजन सिंह पुत्र हरनाम सिंह के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन नामान्तरण संख्या 105 दिनांक 10/06/1992 के द्वारा वादी के घरेलू नाम "नरसिंह" से दर्ज हुई है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "नरसिंह उर्फ माड़ासिंह" अंकित कर दिया गया जबकि वादी के आधार कार्ड जन आधार कार्ड व बैंक खाता आदि में वादी का नाम "नर सिंह" अंकित है। वादी का कृषि भूमि के रिकार्ड में "नर सिंह उर्फ माड़ा सिंह" नाम दर्ज होने के कारण वादी के नाम से जारी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादी वंचित हो रहा है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित "नर सिंह उर्फ माड़ा सिंह" एवं वादी के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, जन आधार कार्ड आदि में दर्ज "नर सिंह" वादी का ही नाम है तथा एक ही व्यक्ति है। वादी के आधार कार्ड, प्रतियां संलग्न वाद पत्र है। बैंक खाता, जन आधार कार्ड की फोटो संलग्न वाद पत्र है। वादी ने दिनांक 18/09/2023 को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दरूस्त करवाने हेतु हिदायत दी, बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लैण्ड होल्डर है एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए पक्षकार बनाया गया है। दावा घोषणात्मक है जो 2/— रूपये के उचित न्याय शुल्क पर पेश है । वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 1 क्यू तहसील श्रीगंगानगर की हैं उक्त कृषि भूमि की सीमा श्रीमान जी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

श्रवणाधिकार का है। लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

(क) चक 1 क्यू पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 59/44 के मुरब्बा नम्बर 70, 71, 74, व 75 की कुल 21.252 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 145/3542 हिस्सा यानि 0.870 है. कृषि भूमि वादी के नाम (नरसिंह उर्फ माड़ा सिंह पुत्र निरंजन सिंह) से जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को दुरस्त किया जाकर "नर सिंह पुत्र निरंजन सिंह " अंकित करने के आदेश दिये जावें"।

(ख) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किये जावे ।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 ग्राम क्यू, पटवार हल्का संगतपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र दौलतपुरा खाता संख्या 59/44 की प्रति पेश की गई। वादी नर सिंह के आधार कार्ड की की प्रति, वादी स्वयं के नाम श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 मुं नर सिंह के नाम से बैंक खाता की पास बुक की स्वयं हस्ताक्षरित प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति पेश की गई।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 59/44 के मुरब्बा नम्बर 70, 71, 74, व 75 की कुल 21.252 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 145/3542 हिस्सा यानि 0.870 है. कृषि भूमि वादी के नाम नरसिंह उर्फ माड़ा सिंह पुत्र निरंजन सिंह से जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को संशोधित किया जाकर नर सिंह पुत्र निरंजन सिंह अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 14.01.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालया में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

नर सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह जाति रामगढ़िया सिख उम्र 53 वर्ष निवासी गांव दौलतंपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

—— वादीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

—— प्रतिवादी

वादपत्र संख्या 221/2023

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी एवं पैरोकार राज प्रतिवादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 59/44 के मुरब्बा नम्बर 70, 71, 74, व 75 की कुल 21.252 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि में से 145/3542 हिस्सा यानि 0.870 है. कृषि भूमि वादी के नाम नरसिंह उर्फ माड़ा सिंह पुत्र निरंजन सिंह से जमाबन्दी मुताबिक के अंकन को संशोधित किया जाकर नर सिंह पुत्र निरंजन सिंह अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

वाद व्यय रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

यह डिक्री आज दिनांक 14.01.25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर वादीगण	राशि (00.00)	प्रतिवादीगण	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	01.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	01.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**02.00**	**कुल**	**00.00**

Scanned with CamScanner